



संख्या
दिनांक.....

संशोधित कार्यालय आदेश

कुलसचिव कार्यालय, द्वारा ग्रीष्मवकाश के संदर्भ में पूर्व निर्गत पत्र संख्या-आर/614/26, दिनांक 22.05.2026 के संदर्भ में अर्जित अवकाश दिये जाने के सम्बन्ध में अलग-अलग संस्थाओं में अलग अलग निर्वचन किया जा रहा है। अतः उक्त निर्गत पत्र के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण निम्नवत् है:-

1. चूंकि विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं (यू0जी0/पी0जी0) जून माह के अन्तिम सप्ताह तक संचालित होनी है एवं शिक्षकों की इन परीक्षाओं के संचालन एवं मूल्यांकन में सहभागिता भी आवश्यक है अतः विभागाध्यक्ष/प्राचार्य के द्वारा शिक्षकों से उनकी उपलब्धता की सहमति लेकर परीक्षाएं, प्रवेश एवं मूल्यांकन इत्यादि का कार्य सम्पन्न कराया जायेगा।
2. विश्वविद्यालय स्तर पर विभागाध्यक्ष एवं महाविद्यालय स्तर पर प्राचार्य द्वारा शिक्षकों को समानुपातिक तरीके से परीक्षा, प्रवेश, मूल्यांकन इत्यादि कार्यों हेतु ड्यूटी लगाई जाएगी।
3. विभागाध्यक्ष/प्राचार्य को ग्रीष्मवकाश में परीक्षा, प्रवेश एवं मूल्यांकन इत्यादि कार्यों के लिए जिस अवधि की सहमति शिक्षक द्वारा प्राप्त होती है, उनके अर्जित अवकाश की गणना निम्न प्रकार से होगी :-

यथा:- किसी शिक्षक द्वारा दिनांक 01 जून से 18 तक की अवधि के लिए सहमति प्रदान की जाती है तो इस अवधि में पड़ने वाले सभी समस्त प्रकार के अवकाश, सप्ताहांत अवकाश सभी को सम्मिलित करते हुए उस अवधि के सापेक्ष 09 अर्जित अवकाश विश्वविद्यालय स्तर पर माननीय कुलपति के अनुमोदन के उपरान्त एवं महाविद्यालय स्तर पर प्राचार्य के अनुमोदन के उपरान्त प्रदान किया जाएगा। यह अर्जित अवकाश, अर्जित अवकाश के खाते में वार्षिक देय, अर्जित अवकाश के अतिरिक्त सम्मिलित होगा।

4. एक वर्ष में अधिकतम देय अर्जित अवकाश परिणियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार होगी।

इस सम्बन्ध में मा0 कुलपति महोदय के आदेश के अनुपालन में कुलसचिव कार्यालय द्वारा पूर्व निर्गत आदेश संख्या-आर/614/26, दिनांक 22.05.2026 इस सीमा तक संशोधित किया जाता है।

(डॉ० भावना मिश्रा)
कुलसचिव

संख्या- 9A-10045-99 दिनांक- 01/06/26

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव कुलपति, मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक/इंचार्ज, ल0वि0।
3. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या सहयुक्त महाविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
4. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, ल0वि0।
5. वित्त अधिकारी, ल0वि0।
6. परीक्षा नियंत्रक, ल0वि0।
7. कुलानुशासक, ल0वि0।
8. निदेशक, आई0पी0पी0आर0, ल0वि0।
9. कार्य अधीक्षक, निर्माण विभाग, ल0वि0।
10. अधीक्षक, भूमि एवं उद्यान, ल0वि0।
11. अवैतनिक पुस्तकालयाध्यक्ष, टैगोर पुस्तकालय, ल0वि0।
12. समस्त उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव, ल0वि0।
13. अध्यक्ष, महामंत्री लूटा, ल0वि0।
14. अध्यक्ष, महामंत्री, लुआक्ट।
15. इंचार्ज, वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने तथा समस्त को ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत करने कष्ट करें।
16. कार्यालय प्रति।

sonila
कुलसचिव